केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/253 दिनांक: 23.08.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00246
CICOM/R/2017/00734

अपीलकर्ता : श्री हरबंस सिंह जसवाल,
पॉकेट ई-138-सी, द्वितीय तल,
दिलशाद गार्डन, दिल्ली - 110095.

निर्णय की तारीख: 23.08.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.06.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.07.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. एस. रोहिल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156996/16.08.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 06.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के संबंध में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय द्वारा दिनांक 14.07.2017 को प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि फाइल सं. CIC/CC/A/2014/003058/SD एवं CIC/CC/A/2014/000270/DP उनकी रजिस्ट्री में प्राप्त नहीं हुई हैं तथा उन्होंने उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय से उक्त फाइलें उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। अत: श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उक्त फाइलें यदि सूचना आयुक्त-डी.पी. की रजिस्ट्री से प्राप्त हो गई हों तो इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए तथा श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि उक्त फाइलें श्री एस. एस. रोहिल्ला को उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं तो इस आदेश की प्राप्ति के पांच दिनों के अंदर उक्त फाइलें श्री एस. एस. रोहिल्ला को उपलब्ध करवाई जाएं।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री एस. एस. रोहिल्ला, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।
3. श्री एच. पी. सेन, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।

(Shravan) Deo 24/08/17

24/8/17

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
24 AUG 2017
D. No.
Initials